



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938

No. 710]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/CHAITRA 1, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2016

(आयकर)

का.आ. 1172 (अ).— जहां कि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उपनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 80 झक की धारा (4) के उपवाक्य (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, का.आ. 51(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 को जारी करके इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए एक योजना तैयार की है और इसे अधिसूचित किया है;

और जहां कि मै. एसेंडास आई टी पार्क चेन्नई लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, पिनाकल विल्डिंग, इंटरनेशनल टेक पार्क, सीएसआईआर रोड, तारामणि, चेन्नई -600113 में है, ने प्लॉट नं. 9, सर्वे टी एस 8/1, ब्लॉक नं. 9, कानागम गांव, तिरुवनावरू गांव, मम्बालम-गुंडई /तालुका / महिलापोर तिरुपलकेन तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु-600113 में इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित किया है जिनके नाम हैं क्रिस्ट और जेनिथ;

अतः आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18 ग के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 80 झक की उप-धारा (4) के उपवाक्य (iii) में तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त उपवाक्य (3) (iii) के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों एवं दशाओं के अधीन रहते हुए, इन प्रतिष्ठानों को, इनके प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2011 से, जिसे कि मेसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि., के द्वारा विकसित, देखरेख और संचालित किया जा रहा है, को एक प्रतिष्ठान और परियोजना, जिसका नाम क्रिस्ट और जेनिथ है तथा जो प्लॉट नं. 9, सर्वे टी

एस 8/1, ब्लॉक नं. 9, कानागम गांव, तिरुवनावरू गांव, मम्बालम-गुंडई /तालुका / महिलापोर तिरुपलकेन तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु-600113 में स्थित हैं, के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें एवं दशाएं जिनके आधार पर भारत सरकार ने मेसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि. के द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए अपना अनुमोदन दिया है :

1. औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम : मेसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि.
 2. प्रस्तावित स्थान : प्लॉट नं. 9, सर्वे टी एस 8/1, ब्लॉक नं. 9, कानागम गांव, तिरुवनावरू गांव, मम्बालम-गुंडई/ तालुका/महिलापोर तिरुपलकेन तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु '600113
 3. न्यूनतम निर्मित प्लोर एरिया: 15000 वर्गमीटर
 4. प्रस्तावित औद्योगिक कार्य : जैसा कि औद्योगिक पार्क योजना, 2008, जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने अधिसूचना सं. का.आ. 51(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के द्वारा अधिसूचित किया है, में परिभाषित है
 5. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटित क्षेत्र का प्रतिशत : 75 प्रतिशत या अधिक
 6. वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवंटिनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 10 प्रतिशत या कम
 7. औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या : 30 इकाई
 8. प्रारंभ होने की तारीख : 31मार्च, 2011
2. इस औद्योगिक पार्क के लिए यह माना जाएगा कि यह अपने प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2011 से तैयार हुआ है।
3. यह औद्योगिक पार्क एक ही प्रतिष्ठान के स्वामित्व में रहेगा।
4. आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को कर का लाभ तभी मिलेगा जब औद्योगिक पार्क में कम से कम 30 औद्योगिक इकाइयां होंगी और इन औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या की गणना के लिए किसी व्यक्ति की सभी इकाइयों को और उससे संबंधित सभी उपक्रमों को एक इकाई माना जाएगा।
5. कोई भी औद्योगिक इकाई, अपने सहयोगी उपक्रमों की इकाइयों समेत आवंटिनीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक स्थान नहीं घरेगा।
6. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का लाभ केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को होगा जो इस अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित होंगी। इस का लाभ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को नहीं होगा जोकि बाद में अन्य किसी कारण से अधिसूचित औद्योगिक पार्क का बाद में विकास, विकास और संचालन या देख-रेख और संचालनकर्ता है।
7. ये प्रतिष्ठान, इस अधिसूचना में निर्धारित शर्तों एवं दशाओं को पूरा करने पर, आयकर अधिनियम 1961की धारा झक की उप-धारा (4) के उपवाक्य (iii) के अंतर्गत 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्ष के लिए, जो कि इस अधिसूचना में उल्लिखित औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तारीख से संगत आकलन से प्रारंभ होगा, अपने विकल्प पर कटौती का दावा कर सकता है।
8. इन औद्योगिक पार्कों में स्थित औद्योगिक इकाइयां केवल वही कार्यकलाप करेंगी जो उपर्युक्त पार्क योजना, 2008 में विनिर्दिष्ट होंगे।
9. ये प्रतिष्ठान औद्योगिक पार्क के लिए अलग से वही खाता रखेंगे और निर्धारित तारीख तक आयकर विभाग में आयकर रिटर्न भरा करेंगे।

10. यह अधिसूचना उस समय अवैध हो जाएगी, यदि ; -

1. उस प्रयोग में जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने अपना अनुमोदन दिया है, गलत सूचना या छद्म सूचना दी गई हो या कुछ ऐसी सूचना नहीं दी गई हो जो सारवान हो।
2. यह उस औद्योगिक पार्क की अवस्थिति के बारे में है जिसके लिए किसी अन्य प्रतिष्ठान के नाम से पहले ही अनुमोदन जारी किया गया हो।

मैसर्स एसेंडास आई टी पार्क (चेन्नई) लि. इस प्रकार की अवैधता के जो भी परिणाम होंगे उसके प्रति उत्तरदायी होगा।

11. यह प्रतिष्ठान उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में यथा विनिर्दिष्ट फार्म आईपीएस-II में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तें और दशाएं तथा वे शर्तें और दशाओं, का जो कि उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में दी गई हैं, उस अवधि के दौरान अनुपालन किया जाएगा जिस अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत लाभ लिया गया हो और यदि यह प्रतिष्ठान किसी भी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है तो केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है।

13. यदि केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना उपर्युक्त परियोजना में कोई संशोधन होता है या किसी ऐसे संशोधन का भविष्य में पता चलता है या यह प्रतिष्ठान कोई सारवान तथ्य को प्रकट नहीं करता है तो इससे औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अवैध हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 20/2016/ फा. सं. 178/34/2011-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक